

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 106 / 2025 (GCMS: 2025/114)


राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

1. पवन कुमार गोयल पुत्र श्री केदारनाथ गोयल, जाति अग्रवाल उम्र 61 साल, निवासी 227 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 93515-47770
2. फर्म/दुकान बालाजी बैग्स, 100 फुट रोड़, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 109 / 2025 (GCMS: 2025/117)

राज्य सरकार जरिये श्रीमती कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर
बनाम

पवन कुमार गोयल पुत्र श्री केदारनाथ गोयल, निवासी 227 विनोबा बस्ती, हाल बालाजी बैग, 100 फुट रोड़, एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर मो.न. 93515-47770



26.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश छाबड़ा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षण उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

स्टेट की ओर से कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.12.2024 एवं 27.03.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन रटाफ 100 फुट रोड़ एसएसबी रोड़, श्रीगंगानगर स्थित फर्म बालाजी बैग पर पहुंचे। वरवक्ता मौका फर्म बालाजी बैग पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना परिवच पवन कुमार गोयल निवासी 227 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर होना बताया, जिसकी स्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई।


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 106/2025

दुकान की जांच करने पर दुकान में 05 लीटर पेट्रोल मय 06 प्लास्टिक बोतल, 04 प्लास्टिक बोतल मय 04 लीटर डीजल, 01 प्लास्टिक कीप पायी गई। पूछताछ करने पर उसने समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त पवन कुमार गोयल ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर पेट्रोल का बेचान 100 फुट रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित दुकान बालाजी बैग पर करना बताया। मौके पर पवन कुमार गोयल से पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 05 लीटर पेट्रोल मय 06 प्लास्टिक बोतल, 04 प्लास्टिक बोतल मय 04 लीटर डीजल, 01 प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

प्रकरण संख्या 109/2025

दुकान की जांच करने पर दुकान में 15 लीटर पेट्रोल मय 10 प्लास्टिक बोतल, 01 प्लास्टिक कीप पायी गई। पूछताछ करने पर उसने समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त पवन कुमार गोयल ने पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर पेट्रोल का बेचान 100 फुट रोड़, श्रीगंगानगर पर स्थित दुकान बालाजी बैग पर करना बताया। मौके पर पवन कुमार गोयल से पेट्रोल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोल के बेचान के कारण 15 लीटर पेट्रोल मय 10 प्लास्टिक बोतल, 01 प्लास्टिक कीप को जरिये फर्द जब्ती किया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

अप्रार्थी पवन कुमार गोयल द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ),

3(4), 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार से दिनांक 27.12.2024 को जबाशुदा 05 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक कैंगी आदि एवं दिनांक 27.03.2025 को जबाशुदा 15 लीटर पेट्रोल मय 10 प्लास्टिक बोतल आदि को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश छाबड़ा ने अपनी बहस कथन किया है कि प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है तथा अक्सर बीमार रहता है। प्रार्थी को घरेलू साधनों के लिए पेट्रोल आदि की आवश्यकता रहती है। प्रार्थी ने उक्त पेट्रोल अपने निजी साधनों के उपयोग हेतु रखा हुआ था। प्रार्थी द्वारा कभी भी पेट्रोल का बेचान नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से किसी भी विधि का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है तथा भविष्य में भी प्रार्थी सभी विभागीय नियमों व निर्देशों की पालना करता रहेगा। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रकरण निरस्त करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.12.2024 एवं 27.03.2025 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ सदभावना एसएसबी रोड़ स्थित बालाजी बैग पर पहुंचे तो दिनांक 27.12.2024 को अप्रार्थी 15 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री एवं दिनांक 27.03.2025 को 5 लीटर पेट्रोल आदि बेचान करने हेतु रखा हुआ पाया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी पवन कुमार गोयल स्वयं ने बताया है कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ स्थित बालाजी बैग पर विक्रय किया जाता है तथा उसके पास भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया है।


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि और अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब एवं वहरा में अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए उक्त पेट्रोल का भण्डारण किया जाना बताया है जो कि मनगढंत और झूठा है क्योंकि अप्रार्थी स्वयं ने पेट्रोलियम पदार्थ का पंजाब से क्रय कर, श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ स्थित बालाजी बैग पर विक्रय करना बताया है और जब्ती को तैयार फर्द जब्ती पर अप्रार्थी पवन कुमार गोयल स्वयं ने हस्ताक्षर किये है।

दिनांक 27.03.2025 एवं 27.12.2024 को अप्रार्थी की जांच करने पर दोनों बार वह पेट्रोल का बेचान करते हुए पाया गया। पेट्रोल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी पवन कुमार गोयल द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के पंजाब से पेट्रोल क्रय कर श्रीगंगानगर में उपभोक्ताओं को बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 की स्पष्ट उल्लंघना किये जाने के कारण, उससे दिनांक 27.12.2024 को जब्तशुदा 15 लीटर पेट्रोल एवं दिनांक 05.03.2025 को जब्तशुदा 5 लीटर पेट्रोल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.12.2024 एवं 27.03.2025 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ एसएसबी रोड़ स्थित बालाजी बैग पर पहुंचे। वरवक्त मौका फर्म बालाजी बैग पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय पवन कुमार गोयल होना बताया, जिसकी

उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। मौका जांच उक्त दुकान पर दिनांक 27.12.2024 को 15 लीटर एवं दिनांक 27.03.2025 को 5 लीटर पेट्रोल भण्डारित पाया गया। पूछताछ पर पवन कुमार गोयल ने बताया कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड़ पर स्थित बालाजी बैग पर विक्रय किया जाता है। मौके पर पवन कुमार गोयल द्वारा पेट्रोल के भण्डारण/बेचान संबंधी कोई भी अनुज्ञापत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर फर्म बालाजी बैग, एसएसबी रोड़ श्रीगंगानगर पर दिनांक 27.12.2024 को उपलब्ध 15 लीटर पेट्रोल एवं दिनांक 27.03.2025 को उपलब्ध 5 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक बोतल, कीप आदि फर्द जब्ती जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02 (थ), 03(4), 04 का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 15 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक बोतल व कीप (दिनांक 27.12.2024) और 5 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक की बोत व कीप (दिनांक 27.03.2025) को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:-

“जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।”

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने बहरा में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल का भण्डारण घरेलू साधनों के लिए कर रखा था, जिसके समर्थन में अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अप्रार्थी अप्रार्थी पवन कुमार गोयल द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी पवन कुमार द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रार्थी पवन कुमार गोयल ने पंजाब से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर श्रीगंगानगर में बेचान करना बताया है। जिस पर अप्रार्थी पवन कुमार गोयल के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो पत्रावली में उपलब्ध हैं। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी पवन कुमार गोयल से दिनांक 27.12.2024 को 15 लीटर पेट्रोल एवं दिनांक 27.03.2025 को 5 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है, जिससे साबित होता है कि अप्रार्थी अवैध रूप से पेट्रोल के क्रय/विक्रय के कारोबार में लिप्ता हैं।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब/बहस के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए अप्रार्थी से उक्त जब्तशुदा पेट्रोल को स्वयं के व्यक्तिगत कार्यों में प्रयुक्त होने हेतु भण्डारण करना बताया जा रहा है, जो सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अप्रार्थी पवन कुमार गोयल स्वयं ने उक्त पेट्रोल को पंजाब से क्रय कर, श्रीगंगानगर में बेचान करना बताकर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से उसकी फर्म बालाजी बैग, एसएसबी रोड श्रीगंगानगर में पेट्रोल बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी पवन कुमार गोयल के पास उक्त मात्रा में डीजल/पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी पेश नहीं किया है। जबकि रेफिनेट और रलॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187-188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

विलायकों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण

(12) पत्रांक : पी-3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाइन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाइन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी वर्ग क में आते हैं एवं जिनका फ्लैश प्वाइन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते हैं एवं जिनका फ्लैश प्वाइन्ट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये हैं।

Class A : Hexane, NGL, Heptane

Class B : MTO, C-9, Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent 90, Iomex

Class C : Furance Oil (FO), Light Diesel Oil (LDO), Aromex

(M)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्पीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाइन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.12.2024 को 15 लीटर पेट्रोल एवं दिनांक 27.03.2025 को 5 लीटर पेट्रोल "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया है, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 15 लीटर पेट्रोल एवं 5 लीटर पेट्रोल के राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187-188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवेहलना के कारण जब्तशुदा 20 (15+5) लीटर पेट्रोल भी राजसात किये जाते है।

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 15 लीटर एवं 5 लीटर पेट्रोल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 15 लीटर एवं 5 लीटर पेट्रोल की विक्रय राशि एवं अन्य को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(डॉ. मन्जू)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर